13830 215

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

देश UTTAR PRADESH DC 419311

विकय पत्र

बैनामा अंकन– 180000/-रू0 स्टाम्प अंकन 9000रू0

विकय प्लॉट पर जिलाधिकारी द्धारा जारी रेट लिस्ट के पृष्ठ 17 पर कम सं0 47 पर अंकित दर सरकारी 2800रू0 प्रति वर्गमीटर से हैं ।

उ0प्र0 सरकार, संस्थागत वित्त कर एंव निबंधन अनुभाग–5, अधिसूचना आदेश संख्या–स.ग्रि.क.नि.5,–2756/11–2008–500 (165)/2007 लखनउ दिनांक 30.6.08 के अनुसार, स्टाम्प अदा किया हैं ।

1– विकय प्लाट रकबई 75.92 वर्गगज यानि 63.47 वर्गमीटर ।

2– विकय प्लाट निम्न सीमा सम्बन्धित खसरा नम्बर 176 वाकै ग्राम काकडा परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद ।

3– विकय प्लाट में कोई निर्माण नही हैं । एंव पटटे भूदान आदि का नही हैं ।

4– विकय प्लाट आवासीय प्लाट हैं । व रावली रोड पर स्थित हैं ।

5– बैनामा का समस्त व्यय केता ने सहन किया है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

₹ 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

र प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 004535

2

सीमा विक्रय प्लाट उक्त ।

पूरब	सैंट फ्रांसिस स्कूल भुजा 50 फिट
पश्चिम	प्लाट अमित त्यागी भुजा 50 फिट
उत्तर	रास्ता आम रावली रोड भुजा 13 फिट 8 इंच
दक्षिण	मालिक काबिज स्कूल भुजा 13 फिट 8 इंच

213

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

र प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 004536

3

हम कि कृष्णा देवी चैरिटेबिल ट्रस्ट – रजि0 ऑफिस 8/1 कृष्णानगर दिल्ली द्वारा ट्रस्टी सदस्य गौतम शर्मा पुत्र श्री बालेश्वर शर्मा निवासी म0नं0 87 नूरनगर सिहानी मोरटी गाजियाबाद जिला गाजियाबाद विकेता फरीक अव्वल
आधार 812096489314 पैन एडब्ल्यूकेपीएस7013एफ मौ0 9810970466

गौतम शर्मा

गौतम शर्मा

212

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पांच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

र प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 004537

4

एंव अशोक त्यागी पुत्र श्री धनप्रकाश निवासी ग्राम खरखौदा तहसील व जिला मेरठ
केता फरीक दोयम

आधार 469918144110 पैन बीआरटीपीए8820आर मौ0 9536369292

र प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 004538

5

विदित हो कि एक किता प्लाट रकबा 75.92 वर्गगज यानि 63.47 वर्गमीटर निम्न सीमा सम्बन्धित खसरा नम्बर 176 वाकै ग्राम काकडा परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद का मैं विक्रेता बजरिये खरीद बैनामा अन्य भूमि सहित दि0 19.8. 2013 को बही नं0 1 जिल्द 6428 के पृष्ठ 273/290 में नं0 13362 पर दफतर रजि0 मोदीनगर में दर्ज है क्रय करके मालिक काबिज स्वामी हैं । जो आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से पाक साफ हैं कहीं दूसरी जगह आड रहन बय हिबै महायदाबय बैंक लौन जमानत आदि आदि में ग्रस्त नही हैं। विक्रय आदि करने के

210

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पांच सौ रुपये Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 004539

6

पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । अब विकेता ने अपनी खुशी से अपने प्लाट उक्त को आज की तारीख में बदले अंकन 180000रू0 एक लाख अस्सी हजार रू0 आधे जिसके अंकन 90000रू0 होते हैं में बहक केता उक्त को विक्रय कर दी है और कुल रूपया मुझ विकेता ने केता से इस प्रकार कि 180000रू0 का चैक नम्बर 800212 ता0 29.11.2019 पंजाब नेशनल बैंक खरखौदा मेरठ के द्वारा प्राप्त कर लिया है कुछ बाकी नही रहा है। कब्जा मौके पर केता का वास्तविक रूप से करा दिया है केता अब जिस प्रकार चाहे कय किये गये प्लाट को अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावें कागजात

209

भारतीय गैर
भारत
NOV 2019 रु. 500
Treasury Officer
पाँच सौ रुपये
INDIA NON

प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 004540

7

सरकारी में केता अपना नाम स्वय दर्ज करालें । अब यदि उक्त विकय प्लाट कुल या जुज कब्जे केता से मुझ विकेता के अनाधिकार यामेरे किसी सहीम व शरीक की बदावेदारी या किसी भी कानूनी नुक्श की वजह से निकल जावेगा तो केता को अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपना कुल रूपया मये हर्जा खर्चा मये ब्यांज के जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें । कुछ उजर न होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 004541

8

उपरोक्त लेखपत्र हम दोनों फरीकैन के द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लेखक ने लिपिबद्ध किया हैं जिसके हम दोनों पक्ष स्वंय जिम्मेवार हैं जो दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं एंव विक्रेता व क्रेता की शिनाख्त गवाहों ने की है।

सम्पत्ति का फोटो

वही नं0	जिल्द	पृष्ठ सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन लिपिक

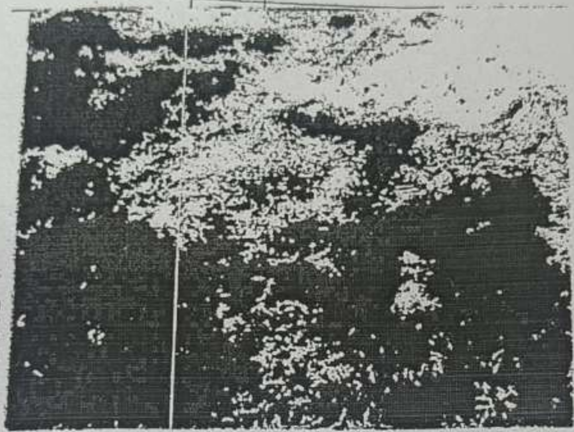

पार्ट ऑफ डॉक्यूमेन्ट नजरी नक्शा

विक्रीत प्लाट की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्ति का नजरी नक्शा

उत्तर

पश्चिम ——— पूरब

दक्षिण

विक्रीत प्लॉट स्थित ग्राम काकड़ा

विक्रीत प्लाट नं0 ______

रकबा 75.92 वर्ग गज यानि 63.47 वर्ग मीटर

तारीख तकमील 29/11/2019

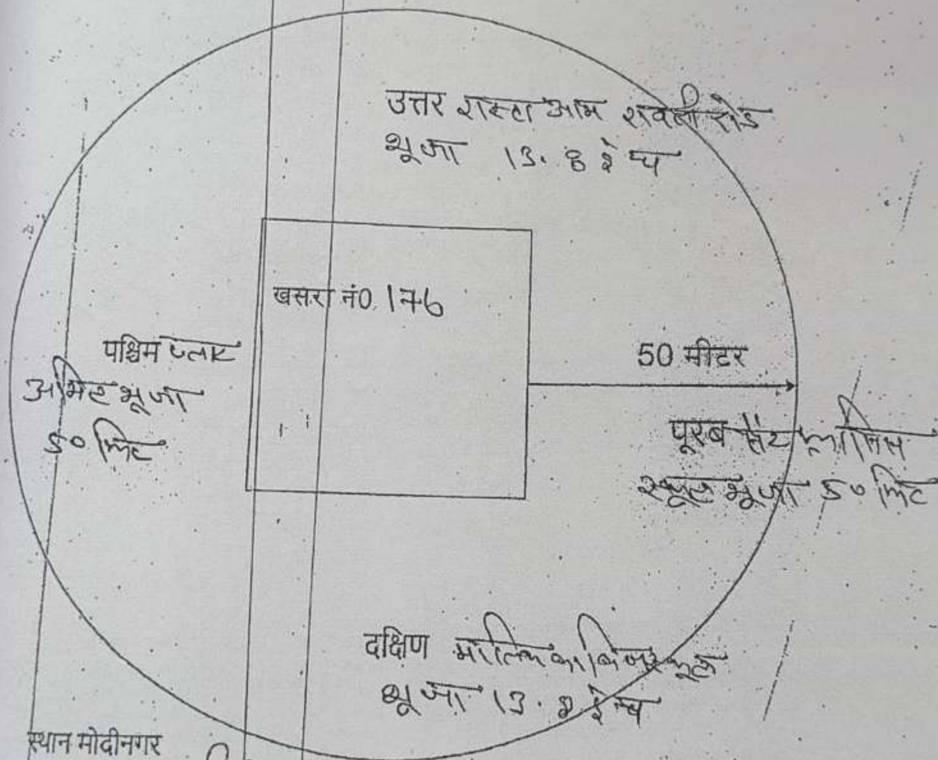

स्थान मोदीनगर

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता / क्रेत्री

नक्शा हाजा दस्तावेज नं0 ______ के साथ संलग्न है।

सबरजिस्टार मोदीनगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

202

भारत

रु. 15000

पंद्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH 13362

692809

Copy no 846/2016

Document Scan

विक्रय पत्र अंकन 3,45,000/-रूपये ,

स्टाम्प अंकन : 17,300/-रूपये।

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1- भूमि का प्रकार- कृषि

2- वी0 कोर्ड नं0 -

3- मोहल्ला/ ग्राम - काकडा

4- सम्पत्ति का विवरण - खाता नं0 97 खसरा नं0 176

5- सडक की स्थित - रावली रोड मुरादनगर पर स्थित है।

6- भूमि का कुल विक्रय क्षेत्रफल हैक्टेयर 0.0345 हैक्टेयर

7- पेडो का मूल्य नही

8- बोरिग/ कुओं की संख्या व कुल मूल्य नही

9- 200 मी0 की त्रिज्या में आबादी होने की दशा में 50 प्रतिशत अति0 दर पर मूल्यांकन ------------------नही

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

राजीव कुमार

उप निबंधक : मोदीनगर

गाजियाबाद

29/11/2019

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

सत्यमेव जयते

हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

1000 Rs.1000

INDIA

UTTAR PRADESH

AD 003601

2

10-प्रतिफल की धनराशि -

11-भूमि मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क दिया गया 3,45,0000/-रूपये

12- इकरारनामा महायदाबय पर दिया गया स्टाम्प- नही

13- बैनामे पर दिया गया स्टाम्प शुल्क - 17,300/-रूपये

14- हिस्साकसी की दशा में उल्लेखनीय विवरण - नही

15- विक्रेता (स्वंय/अटार्नी) स्वयं

16-भूमि की सरकारी निर्धारित दर -(प्रति है०) 1,00,00,000/-रूपये जो पृष्ठ-32 के क्रमांक-295 पर अंकित है।

उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग -5 अधिसूचना आदेशः- स0 वि क0 नि0-5-2756/11-2008-500(1165)/2007 खण्ड लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार 1 बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड क (1) के अनुसार सम्पत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प अदा किया गया है।

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

गौतम शर्मा

गौतम शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

AD 003602

विक्रेता का विवरण -

1-नाम-आदेश पुत्र स्व0 श्री धर्मवीर निवासी ग्राम काकडा परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद।

व्यवसाय -

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण -

1-नाम- कृष्णा देवी चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी चेयरमैन श्री बालेश्वर शर्मा पुत्र स्व0 श्री तोताराम शर्मा एवं सदस्य श्री गौतम शर्मा पुत्र श्री बालेश्वर शर्मा रजि0 आफिस 8/1 कृष्णानगर दिल्ली ।

व्यवसाय -

<u>विवरण विक्रय सम्पत्तिः</u>-विदित हो कि कृषि भूमि स्थित ग्राम काकडा परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता नं0 97 के खसरा नम्बर 176 में कुल रकबा 2.0310 है0 लगानी 100-40 पैसे सालाना का 1/2 भाग यानि रकबई 1.0155 हेक्टेयर में से विक्रय रकबा 0.0345 हैक्टेयर भूमि का मैं प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज हूं तथा उपरोक्त भूमि को विक्रय आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है ।

भारतीय गैर न्यायिक

रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH BR 333908

उपरोक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार के बन्धक ,भार, वाद विवाद व सरकारी देनदारी, आदि से पाक व साफ है कही पर किसी प्रकार से ग्रस्त नही हैं अतः अब मुझ विक्रेता ने उपरोक्त वर्णित भूमि को अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा मे उपरोक्त वर्णित भूमि को अपने समस्त अधिकारों सहित आज की तारीख मे बदले अंकन 30,00,000/-रूपये {तीस लाख रूपये }आधे जिसके अंकन 15,00,000/-रूपये होते है बहक द्वितीय पक्ष क्रेतागण उपरोक्त को बय कतई कर दी ओर बेच दी ओर कुल रूपया कि अंकन-30,00,000/-रू0 तीस लाख रूपये नकद समक्षः श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मोदीनगर के वसूल पा लिया है कुछ बाकी नही रहा है कब्जा मौके पर क्रेतागण का पूर्ण व वास्तविक रूप से करा दिया गया है क्रेतागण को सर्वथा अधिकार प्राप्त है कि वह खरीद कर्दा भूमि को जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना मे लाकर लाभ उठावे, कागजात माल सरकारी व गैर सरकारी मे विक्रेता के स्थान पर क्रेतागण अपना नाम इस विक्रय पत्र के आधार पर स्वय अंकित करा ले, यदि मै विक्रेता व वारसान विक्रेता की दावेदारी के कारण या किसी नामालूम नुक्स कानूनी के कारण या किसी भी अंशीदार या भागीदार की आपत्ति

पार्ट ऑफ डोकुमेन्ट नजरी नक्शा

विक्रीत कृषि भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या मे स्थित सम्पत्ति खास नजरी नक्शा

विक्रीत कृषि भूमि स्थित ग्राम :- मारूड़ा ट मी. दौसा

विक्रीत भूमि के ख. नं. :- 176

कुल रकबा :- 2.0310 है. का 1/2 भाग = 1.0155 है. मे से विक्रय भूमि = 0.0345 है

तारीख तकमील :- 19-8-813

क्र. उ. (विक्रेता) आदेश 25/0 ...

क्र. ... नलेश्वर शर्मा ...

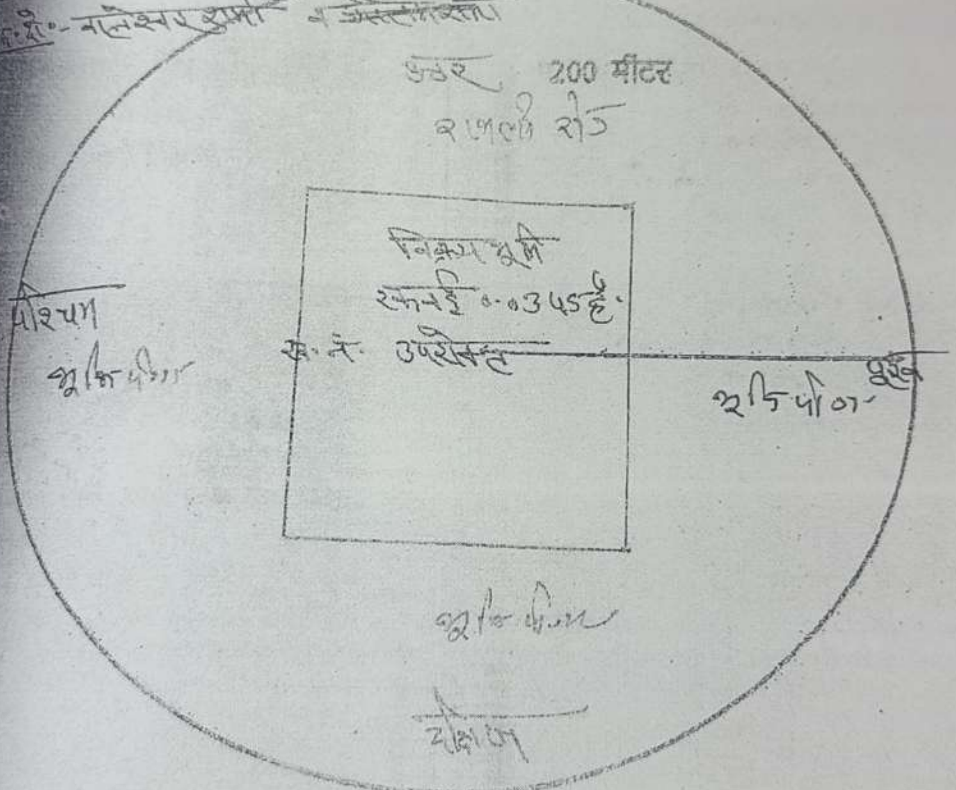

निशान विक्रेता :-

हस्ताक्षर क्रेता :-

दस्तावेज नं..........

197

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BR 333909

UTTAR PRADESH

के कारण विक्रय भूमि कुल या जुज कब्जा व दखल क्रेता से निकल जावेगा तो ऐसी दशा के उपस्थित होने पर क्रेता को सर्वथा अधिकार होगा कि वह अपना कुल रूपया असल मये सूद सरकारी के हिसाब से मये हरजे खरचे सहित जिस प्रकार चाहे हम विक्रेता व वारसान विक्रेता की जात खास सम्पत्ति चल व अचल से बजरिये अदालत द्वारा वसूल कर ले, कुछ उजर नही होगा । विक्रय भूमि ग्राम समाज एवं पटटे की सम्पत्ति तथा वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति नही है विक्रय भूमि के 200 मी0 की त्रिज्या में कृषि हो रही हैं विक्रय भूमि कृषि भूमि है वर्तमान मे भी कृषि हो रही है और कृषि हेतु विक्रय है विक्रय भूमि ग्राम की आबादी से काफी दूर है तथा विक्रय भूमि का रेखाकंन इस दस्तावेज के साथ संलग्न है इस विक्रय पत्र का समस्त व्यय क्रेता ने स्वयं सहन किया है तथा विक्रय भूमि के खसरा नम्बर के आस पास के खसरा नम्बरान मे भी कृषि हो रही है विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति के नही है तथा भारतीय नागरिक है।